जे.पी.आर.5-848

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005
फोन नं0 – 0141-2747041, फैक्स नं0 – 0141-2744803
*ईमेल – **se_comml@yahoo.in***

क्र0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-I/एफ. /प्रे0 2951 जयपुर, दिनांक- 28-03-2017

आदेश

विषय :– विद्युत संबंध के नाम परिवर्तन के मामले में ली जाने वाली राशि के संबंध में।

विद्युत आपूर्ति हेतु शर्ते एवं निबन्धन-2004 के प्रावधानों के अनुसार यदि वास्तविक विक्रय या विरासत द्वारा सम्पति का अन्तरण, उपहार या कम्पनी के परिसमापन (Liquidation) के कारण स्वामित्व में कोई परिवर्तन है तो निगम द्वारा एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता को कनेक्शन का अन्तरण (Transfer) अनुमत कर दिया जाएगा। निगम द्वारा औपचारिक स्वीकृति दिये जाने से पूर्व उपभोक्ता उस सेवा के प्रति समस्त बकाया राशि का भुगतान करेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति जमा कराएगा।

प्रायः यह देखने में आया है कि क्षेत्रीय अधिकारी नाम परिवर्तन के मामलों में भिन्न-भिन्न राशि वसूल रहे हैं। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता हे कि नाम परिवर्तन के मामले में 'विद्युत आपूर्ति हेतु शर्ते एवं निबन्धन-2004' के अनुसार वास्तविक विक्रय के मामलों में पात्र आवेदकों से उस विद्युत सम्बन्ध के विरूद्ध बकाया राशि एवं धरोहर राशि (कृषि कनेक्शनो के मामलों में रू.15 प्रति एच.पी./माह-2 माह के लिये,) वसूलनीय है एवं विरासत द्वारा सम्पत्ति के अन्तरण के मामलों में केवल परिसर के अनुसमर्थन में आवश्यक विधि प्रलेख प्रस्तुत करना होगा एवं कोई अन्य राशि देय नहीं है। यदि किसी मामले में कोई अतिरिक्त धरोहर राशि एवं अन्य राशि यदि वसूली गई है तो उसे तुरन्त प्रभाव से आवेदको के आगामी बिलों में समायोजित किया जावे।

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Desktop/San/JPR